वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं के निर्देशन में अवैध शराब/शस्त्र के क्रय/विक्रय/तस्करी/निष्कर्षण करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 14.10.2021 को थाना सहसवान पुलिस द्वारा ग्राम बैरपुर मानपुर से अभियुक्त बन्ने पुत्र ईदूशाह निवासी ग्राम बैरपुर मानपुर थाना सहसवान जनपद बदायूं को स्प्रिट (केमिकल) से अवैध नकली शराब बनाते हुए 20 लीटर एक केन मे कच्ची शराब व एक बोतल मे आधा भाग शराब व शराब बनाने के उपकरण (01 गैस चूल्हा, 01 सिलिण्डर 05 लीटर, एक मग्गा एवं एक पतीली) समेत गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त के संबंध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 455/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार भेजा गया । थाना उसावां पुलिस द्वारा अभियुक्त चेतराम पुत्र उमरा निवासी ग्राम गौतरा पट्टी नरपत रमसी थाना उसावां जनपद बदायूं को 20 लीटर अवैद शराब समेत गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त के संबंध में थाना उसावां पर मु0अ0सं0 175/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत करते हुए विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

उपरोक्त अभियान के अन्तर्गत ही थाना सहसवान पुलिस द्वारा मण्डी गेट कस्बा सहसवान से अभियुक्त पंकज गुप्ता पुत्र मदनलाल गुप्ता निवासी स्टेशन रोड उझानी थाना उझानी जनपद बदायूं को 01 अवैध छुरी समेत गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त के संबंध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 454/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार भेजा गया ।

सोशल मीडिया सैल

जनपद बदायूं ।